214/2016 जालाराम प्र. जीयाराम वगैरा

राजस्व वाद संख्या 214/2016 अनवान जालाराम बनाम जीयाराम वगैरा

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.5.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में पंचायत मुख्यालय ग्राम पंचायत सारणों का तला में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत सम्मन प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल है। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर से निवेदन किया गया। कि मूलवाद दर्ज रजिस्टर होने के बाद प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये थे। जो प्रतिवादीगण की तामील होने पर उनके उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 18.11.15 को एकतरफा कार्यवाही पारित की गई थी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखनें कारण उन्हें दुबारा सम्मन लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु जारी किये गये। जो तामील रिर्पोट के साथ प्राप्त हुए। जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 के फोत होने की रिर्पोट का अंकन है। आगे ओर कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 7 के वारिस पूर्व में ही रिकार्ड पर है,इस कारण प्रतिवादी संख्या 7 का नाम वादपत्र से हटाया जावें। चुंकि प्रतिवादी संख्या 7 के वारिस पूर्व में ही रिकार्ड पर है। इस कारण वादपत्र से नाम डिलीट किया जाता है। वकील वादी की ओर से आगे ओर कथन किया गया कि वादीगण की साक्ष्य पूर्व में हो चुकी है। और प्रकरण बहस में चला रहा है। जो वादपत्र में इस्तदुआ के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जावें। हमनें वकील वादी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,एवं दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि वादी व प्रतिवादी स.1 ता 7 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डड सहखातेदारान है। जो मुतवफी दलाराम के वारिसान है। मुतवफी दलाराम के फोत होने पर वारिसान की हैसियत के तौर पर नामान्तकरण संख्या 209 के जरिये वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुई। जिसमें प्रत्येक थोक का बहिस्सा बराबर 1/8,1/8 हक हिस्सा निहित है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमांबदी संवत 2067 से 2070 के अवलोकन से साबित होता है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 वालीदेवी द्वारा ग्राम सारणों का तला की खसरा संख्या 326 रकबा 295–10 बीधा भूमि में अपने 1/8 हिस्से में आधा हिस्सा यानि

उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिणधरी

कुल रकबे का 1/16 हिस्सा का बेचान वादीनी संख्या 2 को ... गया। जो पत्रावली के संलग्न नामान्तकरण संख्या 221 से साबित होती है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्से खुले हुए नहीं होने एवं विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जो वादीगण राजस्व रिकार्ड में हिस्सेनुसार बंटवाड़ा करवाने का हकदार भी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 की एवं 1/16 हिस्सा वादीनी संख्या 2 की धोषित करते हुए बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं मजमें आम में पुछताछ करने पर उक्त तथ्यो की ताईद होती है। प्रतिवांदीगण बावजूद सुचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादीगण की भी मौन स्वीकृति है। उपरोक्त विवेचन उपरान्त साबित होता है,कि वादी का मौके पर हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम–सारणों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 325 व 326 कुल रकबा 295–18 बीधा भूमि में 1/8 हिस्सा वादी की एवं खसरा संख्या 326 रकबा 295–10 बीधा भूमि में 1/16 हिस्सा वादी संख्या 2 का धोषित करते हुए वादीगण का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगा। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। तदनुसार प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हों। तहसीलदार सिणधरी को तहरीर जारी होकर मिसल–विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पंचायत मुख्यालय सारणों का तला

पीठासीन अधिकारीः–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1.जालाराम पुत्र दलाराम		1.जीयाराम
2.श्रीमति वालीदेवी पत्नि जालाराम		2.पनाराम
जाति जाट		3.गोमाराम
निवासी सारणों का तला (होडू)		4.सताराम
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		5.गुमनाराम
		6.अचलाराम पिसरान दलाराम
		7.तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88,53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :–214/2016
निर्णय दिनांक :–15.5.2018

वादी की ओर से श्री बीजाराम गोदारा अधिवक्ता उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एकरतफा में इस वाद में आज तारीख. 15.5.2018 को. श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम–सारणों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 325 व 326 कुल रकबा 295–18 बीधा भूमि में 1/8 हिस्सा वादी की एवं खसरा संख्या 326 रकबा 295–10 बीधा भूमि में 1/16 हिस्सा वादी संख्या 2 का धोषित करते हुए वादीगण का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

यह आज तारीख 15-5-18 .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner